सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 462 राँची ,मंगलवार 25 भाद्र 1936 (श०)

16 सितम्बर, 2014 (ई०)

## कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

---

संकल्प

12 सितम्बर, 2014

1. राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड का पत्रांक-2034, दिनांक-21 अक्टूबर, 2011
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-7516, दिनांक 30 नवम्बर, 2011, पत्रांक-540, दिनांक 19 जनवरी, 2012
3. उपायुक्त, देवघर का ज्ञापांक-649/स्था0, दिनांक-26 सितम्बर, 2011, पत्रांक- 199/स्था0, दिनांक-5 अप्रैल, 2014, आदेश ज्ञापांक-405/जि0पं0, दिनांक-7 नवम्बर, 2010

---

**संख्या-5/आरोप-1-442/2014 का.- 9252**--श्री नेल्सन नियोन बागे, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-656/03, गृह जिला- राँची), के विरूद्ध इनके भूमि सुधार उप समाहर्ता, मधुपुर के पद पर पदस्थापन अवधि में राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड के पत्रांक-2034, दिनांक-21 अक्टूबर, 2011 द्वारा वर्ष 2010 में

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तृतीय चरण के मतदान हेतु जिला- देवघर, प्रखण्ड-सारठ अन्तर्गत ग्राम पंचायत-मंझलाडीह के लिए त्रुटिपूर्ण मतपत्रों के मुद्रण संबंधी आरोपों हेतु प्रपत्र- 'क' प्राप्त है।

2. विभागीय पत्रांक-540, दिनांक 19 जनवरी, 2012 एवं अनुवर्ती स्मार पत्रों द्वारा श्री बागे से उक्त आरोपों पर स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

3. श्री बागे के पत्र, दिनांक 21 मई, 2012 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें अंकित है कि निर्वाची पदाधिकारी, सारठ के रूप में प्रपत्र-9 त्रुटिरहित तैयार की गयी थी। प्रतिनियुक्त सहायक निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-9 के प्रूफ की जाँच तथा मिलान कर बटर पेपर पर हस्ताक्षर किया गया था। मतपत्रों की छपाई की जिम्मेवारी पूरी तरह उन्हीं पर थी।

4. उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-199/स्था0, दिनांक-5 अप्रैल, 2014 द्वारा श्री बागे के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उल्लेख है कि उपायुक्त, देवघर के आदेश ज्ञापांक-405/जि0पं0, दिनांक-7 नवम्बर, 2010 में स्पष्ट आदेश था कि मतपत्र में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार माने जायेंगे। मतपत्र का मुद्रण अनुमोदित प्रूफ के अनुसार सही-सही हो, यह श्री बागे का व्यक्तिगत दायित्व था।

श्री बागे के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, देवघर के मंतव्य की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त, उपायुक्त, देवघर के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री तिर्की को 'निन्दन' की सजा दी जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**प्रमोद कुमार तिवारी,**

सरकार के उप सचिव।

---

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 462–50 ।